

राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०

पी.सी.एफ. भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2630130 (कार्यालय)
फैक्स : 0522-2630115, 2630134
वेबसाइट : <http://sec.up.nic.in>
ईमेल : secup@up.nic.in,
secup32@gmail.com



State Election Commission., U.P.

P.C.F. Building, 32-Station Road, Lucknow
Phone : 0522-2630130 (O)
Fax : 0522-2630115, 2630134
Website: <http://sec.up.nic.in>
Email : secup@up.nic.in,
secup32@gmail.com

संख्या : 2020302875/रा०नि०आ०-3/पं०नि०/15-19/2020

दिनांक : 04/12/2020

संशोधित अधिसूचना

"भारत के संविधान" के अनुच्छेद 243ट सपठित उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा-9 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मनोज कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्वारा आयोग की अधिसूचना संख्या-2020302041/रा०नि०आ०-3/पं० नि०/15-19/2020 दिनांक 15.09.2020 को संशोधित करते हुए यह निर्देश देता हूँ कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का निम्नांकित समय सारिणी के अनुसार वृहद् पुनरीक्षण किया जाएगा :-

क्र.सं.	कार्यक्रम	अवधि
1.	ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना	13 नवम्बर, 2020 से 26 दिसम्बर, 2020 तक
2.	ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन	27 दिसम्बर, 2020
3.	ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण	28 दिसम्बर, 2020 से 03 जनवरी, 2021 तक
4.	दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना (01 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के भी दावे स्वीकार किए जाएंगे)	28 दिसम्बर, 2020 से 03 जनवरी, 2021 तक
5.	दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण	04 जनवरी, 2021 से 11 जनवरी, 2021 तक
6.	दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही	12 जनवरी, 2021 से 21 जनवरी, 2021 तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन	22 जनवरी, 2021

2. उपर्युक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन जनवरी, 2021 में हो रहा है, अतः ऐसे अर्ह नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु प्राप्त दावों को स्वीकार करते हुए निर्वाचक नामावली में नियमानुसार सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

3. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा।

मनोज कुमार

राज्य निर्वाचन आयुक्त, उ०प्र०।

संख्या : 2020302875(1)/रा०नि०आ०-3/पं०नि०/15-19/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
11. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक जोन / परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
14. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दें तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु भेज दें।
16. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
18. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी / प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
20. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
21. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
22. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
23. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित करा दें।
24. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित करा दें।
25. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी, गोरखपुर केन्द्र, गोरखपुर।
26. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 के असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इसकी दस प्रतियाँ आयोग के उपयोगार्थ / अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया यह ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।
27. आयोग के समस्त अधिकारी / अनुभाग।
28. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
29. गार्ड फाइल, अनुभाग-3, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश वर्मा)
अपर निर्वाचन आयुक्त।